

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-21/2025 दिनांक: फरवरी 27, 2026

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस-डीजी-चार-125(14)/2018/355 दिनांक 10-09-2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(40)/2025 दिनांक 01-09-2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदन दिनांक 10-09-2025 के क्रम में 28 फरवरी, 2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-03-2026 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
141	193	980460971	भारत भूषण	श्री नानक चन्द्र	मुजफ्फरनगर	2025
142	194	030710258	हरेन्द्र कुमार	देवेन्द्र सिंह	हापुड़	2025
143	195	960760668	मनोज कुमार	राजाराम सिंह	एस0टी0एफ0 लखनऊ	2025
144	196	030501049	अखिलेश कुमार राय	श्री शिवपूजन राय	मेरठ	2025
145	197	920490266	सुशील कुमार सिंह	रवीन्द्र नाथ सिंह	बाराबंकी	2025
146	198	960440104	सुखवीर सिंह यादव	श्री सुमेर सिंह	हरदोई	2025
147	199	970491828	सुबहान अंसारी	इस्माइल अंसारी	बाराबंकी	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।


3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क

  
(राम कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद एवं इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उ0प्र0 लखनऊ।
2. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/हापुड़/मेरठ/बाराबंकी एवं हरदोई।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01-09-2025 के संदर्भ में।

स्वीकृति-पत्र

मैं स्वयंसेवक (नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र

विकासी

धाना

जनपद

वर्तमान में (जनपद/इकाई)

हैं कि-

विरुद्ध हैं। मैं प्रमाणित करता

(1) मेरे विरुद्ध सशस्त्र अशान्ति प्रेरणा के पुलिस अधिकारियों/कार्यवाहियों की (विण्ड और अर्सेल) नियमावली-1994 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग माह न्यायालय में चिन्ताधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध सशस्त्र अशान्ति प्रेरणा के पुलिस अधिकारियों/कार्यवाहियों की (विण्ड और अर्सेल) नियमावली-1994 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मुकदमों धारा धाना जनपद में लम्बित है, जिसमें दिनांक को राष्ट्रीय पुलिस अध्या जॉक एकेसी इस आरोप-पत्र माह न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अतिथी वलमान में स्तर पर बाल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा खिन्ना पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है; जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पाठान किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्त स्थान

दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वीकृति-पत्र के प्रस्ताव-1 को उपप्रस्ताव-1, 2 व 3 में से जो लागू न हो उसे खरद रूप में कर (2) दिया जाय।